निर्देश | अवमानना मामले में हाईकोर्ट ने आज हाजिर होने के दिये निर्देश

महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान भोपाल के संचालक व असिस्टेंट डायरेक्टर तलब

जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट ने पूर्व आदेश की नाफरमानी को गंभीरता से लिया। जस्टिस विशाल मिश्रा की एकलपीठ ने मामले में महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान भोपाल के संचालक प्रभात राज तिवारी एवं असिस्टेंट डायरेक्टर रेशमा लाल को आज बुधवार को हाजिर होकर स्पष्टीकरण पेश करने के निर्देश दिये है।

यह मामला पुष्पांजली संस्कृत विद्यालय सिंगरौली व अन्य की ओर से दायर किया गया है। जिनकी ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एनएस रूपराह व मुस्कान आनंद ने पक्ष रखा। जिन्होंने बताया कि पतंजलि संस्थान ने एक आदेश जारी कर यह शर्त रखी थी कि उनके

संस्थान से संबद्ध जिन विद्यालयों के छात्रों ने माशिमं या सीबीएससी से नौवीं या ग्यारहवीं परीक्षा उत्तीर्ण की है, उन्हें दसवीं और बारहवीं में परीक्षा में शामिल नहीं किया जाएगा। इससे क्षुब्ध होकर पूर्व में एक याचिका दायर की गई थी। हाईकोर्ट ने 28 अप्रैल 2025 को संस्थान के उक्त आदेश को स्थगित कर दिया था। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने विगत 14 अगस्त को हाईकोर्ट ने उक्त अधिकारियों को नोटिस जारी कर पूछा था कि नियम स्थगित करने के बावजूद याचिकाकर्ता संस्कृत विद्यालयों के विद्यार्थियों को परीक्षा में शामिल क्यों नहीं किया गया। इसके बावजूद संस्थान ने याचिकाकर्ता विद्यालयों के करीब 22 सौ विद्यार्थियों को परीक्षा में शामिल नहीं किया। याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया कि 22 अगस्त से पूरक परीक्षाएं होनी हैं, इसलिए अवमानना याचिका दायर की गई है।

दोषसिद्धि के लिए परिस्थितिजन्य साक्ष्यों की श्रृंखला होनी चाहिए पूरी

जबलपुर। हत्या के आरोप में दो आरोपियों को ट्रायल कोर्ट द्वारा दोषमुक्त किए जाने के खिलाफ सरकार की तरफ से हाईकोर्ट में अपील दायर की थी। इसके अलावा एक अभियुक्त ने हत्या के अपराध में आजीवन कारावास की सजा से दंडित किये जाने के चुनौती देते हुए अपील दायर की थी। हाईकोर्ट जस्टिस विवेक अग्रवाल तथा जस्टिस ए के सिंह की युगलपीठ ने दोनों अपील की सुनवाई संयुक्त रूप से करते हुए सरकार की अपील खारिज कर दी। युगलपीठ ने अभियुक्त की अपील को स्वीकार करते हुए उसे हत्या के आरोप में दोषमुक्त कर दिया। अभियोजन के अनुसार जबलपुर निवासी अपीलकर्ता प्रमोद कुशवाहा,राजा कुशवाहा,सौरभ सेन तथा विनय सेंगर आधारताल रिछाई स्थित पारले-जी डिपो में काम करते थे। चार व्यक्ति 10 व 11 अगस्त 2018 की रात को डिपो से पारले-जी के कार्टून चुराकर ले जा रहे थे। रास्ते में विनय सेंगर गन्ने के खेत में फंस गया और उसे करंट लग गया। करंट लगने के कारण विनय बेहोश हो गया था।

इसाफ स्माल फाइनेंस बैंक से डाकू ले गए है14 करोड़ का गोल्ड

डकैतों को ढूंढने दिल्ली, राजस्थान बिहार, यूपी, झारखंड में छापेमारी

जबलपुर। खितौला स्थित इसाफ स्माल फाइनेंस बैंक में 11 अगस्त को डकैती डालने वाले डकैतों की तलाश में पांच टीमें छापेमारी कर रही है। टीमों ने दिल्ली, राजस्थान, बिहार, यूपी, झारखंड में दबिश दी हैं जहां संभावित ठिकानों पर जांच पड़ताल की जा रही हैं। पुलिस का दावा है कि जल्द ही डकैत पुलिस गिरफ्त में होंगे। इसके पूर्व पुलिस मास्टरमाइंड समेत चार मद्दगारों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी हैं।

विदित हो कि खितौला स्थित इसाफ स्माल फाइनेंस बैंक में 11 अगस्त को पांच डकैत घुसे थे जो 14 किलो 875 ग्राम सोना और 5, लाख 8 हजार रूपए लूटकर ले गए थे। पुलिस ने अज्ञात डकैतों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया। जांच पड़ताल की तो यह बात सामने आई कि डकैत पाटन थाना अंतर्गत इंद्राना में एक किराए के मकान में रूके थे जहां रहते हुए उन्होंने रैकी के बाद वारदात की थी। मामले में 10 से अधिक टीमें गठित हुई। विवेचना के दौरान मिले साक्ष्यों, सीसीटीव्ही फुटेज और तकनीकी साक्ष्य के जरिए मास्टरमाइंड रहीस लोधी और मद्दगार सोनू बर्मन, हेमराज, और विकास चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया गया था। जिनके कब्जे से लूटी गई रकम में से 1 लाख 83 हजार रूपए नगद ,एक कट्टा ,चार कारतूस दो मोटरसाइकिल ,चार मोबाइल व अन्य सामग्रियां जप्त किया गया था। जांच में यह बात सामने आई कि वारदात के बाद डकैत कटनी पहुंचे थे जहां झारखंड जाने वाली ट्रेन में बैठकर फरार हो गए थे। पुलिस अब मास्टरमाइंड के करीबी बब्लू समेत डकैतों की तलाश में है। पांच टीमें गठित की गई है जो छापेमारी कर रही है।

अफगानी मूवमेंट : संदेहियों से एटीएस ने की पूछताछ, बयान दर्ज

जबलपुर। एटीएस ने शहर में अफगानी मूवमेंट होने पर गत दिवस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया था। इस मामले में एटीएस ने कई संदेहियों को पूछताछ के लिए तलब किया है। इसके साथ ही उनसे पूछताछ कर बयान दर्ज किए जा रहे है।

विदित हो कि 31 जुलाई से एटीएस ने जबलपुर में बड़ी कार्रवाई शुरू की यह कार्रवाई फर्जी दस्तावेजों के आधार पर भारतीय पासपोर्ट बनवाकर अवैध रूप से जबलपुर में रह रहे अफगानी नागरिकों और उनके साथियों गिरफ्तार किया गया। एटीएस को 20 अफगानी युवकों की जानकारी मिली थी जो फर्जी पासपोर्ट जबलपुर के पते से बनवाने का प्रयास किया। एटीएसी ने अफगानी मोहम्मद इकबाल, अकबर, सोहबत समेत दिनेश गर्ग, महेंद्र कुमार सुखदन चंदन सिंह समेत अन्य को गिरफ्तार किया था। एटीएस को फर्जीवाड़े में भारतीय पासपोर्ट बनवाने के लिए अब तक लगभग 10 लाख रुपये के लेन देन की जानकारी प्राप्त हुई थी इसके साथ ही बीस और अफगानियों के शहर में मूवमेंट की जानकारी मिली थी। मामले में पूछताछ के लिए एटीएस ने कई और संदेहियों को पूछताछ के लिए तलब किया है। मंगलवार को कुछ लोगों से पूछताछ की गई है और उनके बयान दर्ज किए गए है।

सर्प ने दो भाईयों को डसा एक की मौत, दूसरा भर्ती

जबलपुर। तिलवारा थाना अंतर्गत देवरी घाना में सर्प ने दो भाईयों को डस लिया। दोनों को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया जहां एक की मौत हो गई जबकि दूसरे का इलाज चल रहा है। पुलिस के मुताबिक प्रकाश यादव 30 वर्ष निवासी ग्राम देवरी घाना ने सूचना दी कि वह अपने पत्नी बच्चों के साथ रात में खाना खाकर सो गया था रात लगभग 3 बजे बेटे नीतेश एवं नीरज की चिल्लाने की आवाज सुनकर उठ कर देखा नीरज के दाहने हाथ के पंजे पर एवं नीतेश के वायें हाथ के पंजे में सर्प काटने के जैसे निशान बने थे पलंग के पास देखा सर्प घर के बाहर जाते दिखा उसने दोनों बच्चों को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया था नीतेश ठीक हो गया है। दौरान उपचार के बेटे नीरज यादव उम्र 09 वर्ष की मौत हो गई।

लग्जरी कार में ठूस-ठूस ले जा रहे थे गौवंश

घेराबंदी देख भागा ड्राइवर, आक्रोशिजनों ने कार में की तोड़फोड़

जबलपुर। लग्जरी कार में ठूस-ठूस कर गौवंशों को ले जाया जा रहा था जब इसकी भनक हिन्दूवादी संगठन को लगी तो कार्यकर्ताओं ने मामले की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। घेराबंदी देखकर ड्राइवर वाहन को छोड़कर भाग गया। जब लग्जरी कार की तलाशी ली गई तो उसमें आधा दर्जन गौवंश क्रूरता पूर्वक भरे हुए थे जिन्हें सुरक्षित तिलवारा काजी हाउस भेजा गया। वहीं आक्रोशिजनों ने एक्सयूवी कार में तोड़फोड़ कर दी।

माढ़ोताल थाना प्रभारी नीलेश दोहरे ने बताया कि सूचना मिली कि पाटन बायपास के नीचे माढोताल में एक महिंद्रा एक्सयूवी 500 वाहन क्रमांक टीएस 13 ईबी 3339 को रोका गया है जिसमें पशुओं को अवैध रूप से क्रूरतापूर्वक ठूस ठूस कर भरा हुआ है वाहन चालक कहीं बेचने जा रहा है सूचना पर तुरंत पाटन बायपास के नीचे दबिश दी गई है। कार के अंदर 6 गौवंश (4 बछड़ा, 2 बछिया गाय) कूरता पूर्वक ठूस ठूस कर भरे हुए थे। वाहन के अंदर दो जायलजीन इंजेक्शन यूसपी की शीशी, तीन इंजेक्शन पाये गये। वाहन चालक मौके से भाग कर फरार हो गया था भीड के द्वारा उक्त वाहन पर तोड़फोड़ कर दी गई। गौवंशों को तुरंत वाहन से निकलवाकर रोड पर उतारा गया जिसन्हें सुरक्षित तिलवारा काजी हाउस भेजा गया। अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मप्र गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम, पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर पतासाजी की जा रही हैं।

आयुष्मान भारत योजना में धांधली राज्यसभा में गूंजा

राज्य सभा सांसद विवेक तंखा ने उठाया सवाल, जवाब में 3,167 अस्पतालों में गड़बड़झाला का खुलासा

जबलपुर। आयुष्मान भारत योजना में अस्पतालों हुई धांधली का मामला राज्य सभा में गूंजा। राज्य सभा सांसद विवेक तंखा ने स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में हुई भारी गड़बड़ी पर सवाल उठाए। जिसके जवाब में 3,167 अस्पतालों में हुए गड़बड़झाले का खुलासा हुआ है। दरअसल श्री तंखा ने 19 अगस्त को पूछे गए प्रश्न में केन्द्र सरकार से जानकारी मांगी थी कि योजना के तहत कितने अस्पतालों में गड़बड़ियों का दोषी पाया गया है। इसके साथ अब तक कितनी फर्जी क्लेम पकड़ी गई और कितनी राशि वापस मिली। भविष्य में ऐसी शैतानियों पर रोक के लिए निगरानी और बेंचमार्क सिस्टम को कितना मजबूत किया जा रहा है। जवाब में स्वास्थ्य एवं कल्याण परिवार मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में बताया कि योजना की शुरुआत से अब तक 3,167 योजनाओं में विभिन्न प्रकार के कार्यान्वयन और नियमों का उल्लंघन पाया गया है।

मौसी ने 8 साल की बच्ची का किया किडनैप

▶ आरोपिया गिरफ्तार, बालिका दस्तयाब

जबलपुर। बरेला थाना अंतर्गत गौर चौकीस्थित कटियाघाट से 8 साल की मासूम बच्ची का अपहरण कर लिया गया जब इसकी खबर पुलिस को लगी तो हड़कंप मच गया पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल शुरू की। जांच में यह बात सामने आई थी बच्ची को उसकी मुंहबोली मौसी उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गई थी। जिसे माढ़ोताल क्षेत्र से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और पुलिस ने बच्ची को दस्तयाब कर उसे परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया।

पुलिस के मुताबिक एकता चौक, कटियाघाट में रहने वाली 8 वर्षीय बालका जब घर के बाहर खेल रही थी तभी उसकी मुंहबोली मौसी वंदना विश्वकर्मा उसे बहला फुसालकर अपने साथ ले गई जब बच्ची घर में नहीं दिखी तो परिजन चिंतित हो गए उन्होंने पहले तो अपने स्तर पर खोजबीन की लेकिन जब कोई सुराग नहीं लगा तो वह थाने पहुंचे और पुलिस को पूरे मामले से अवगत कराया। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ अपहण कर प्रकरण दर्ज कर पतासाजी शुरू की। बच्ची की सहेलियों से पूछताछ की लेकिन उसका कहीं कोई सुराग नहीं लगा। पुलिस ने सीसीटीव्ही कैमरों के फुटेज खंगाले तो एक महिला बच्ची को अपने साथ ले जाते हुए दिखाई दी इसके बाद महिला की शिनाख्त बच्ची की मुंह बोली मौसी के रूप में हुई। जिसके बाद पुलिस ने माढ़ोताल आईटीआई के पास स्थित महिला के घर में दबिश देते हुए उसे दबोच लिया और मौसी को हिरासत में ले लिया। डीएसपी आकांक्षा उपाध्याय ने बताया कि बालिका की मौसी ने ही बच्ची का अपहरण किया था। पूछताछ में महिला ने कहा कि बच्ची उसके पीछेपीछे आ गई थी तो वह उसे घर तक ले आई थी। हालांकि मामले की गंभीरता को देखते हुए महिला की गिरफ्तारी की गई और उसे न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

पितृपक्ष के दौरान चलेगी स्पेशल ट्रेन

जबलपुर। रेल प्रशासन द्वारा श्राद्धपक्ष के अवसर पर अतिरिक्त यात्री यातायात को देखते हुए यात्रियों की सुविधा के लिए पितृपक्ष स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया गया है। इसी कड़ी में पश्चिम मध्य रेल पर अतिरिक्त यात्री यातायात को देखते हुए यात्रियों की सुविधा हेतु जबलपुर-गया-जबलपुर के मध्य पितृपक्ष स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। इन स्पेशल ट्रेनों में वातानुकूलित श्रेणी, शयनयान श्रेणी एवं सामान्य श्रेणी के कोच रहेंगे। पितृपक्ष जबलपुर-गया-जबलपुर पितृपक्ष स्पेशल ट्रेन 01705 दिनांक 09, 14 एवं 19 सितंबर को रात 19.35 बजे जबलपुर से प्रस्थान करेगी और अगले दिन सुबह 09.30 बजे गया पहुँचेगी। 01706 पितृपक्ष स्पेशल ट्रेन दिनांक 08, 13 एवं 18 सितम्बर को दोपहर 14.15 बजे गया से रवाना होगी और अगले दिन भोर 04.15 बजे जबलपुर पहुंचेगी।

स्वत्वाधिकारी रामगोपाल इन्वेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड हेतु लेसी एंगेज मीडिया प्रा.लि. के लिए आशीष श्रोती द्वारा प्रेस कॉम्प्लेक्स सिविक सेंटर जबलपुर से प्रकाशित एवं हितकारिणी प्रिंटिंग प्रेस सिविक सेंटर जबलपुर से मुद्रित. स्थानीय संपादक अविनाश दीक्षित*, *समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत जिम्मेदार, फोन-0761-4109072, E mail-navbharat.418@gmail.com पो.रजि.नं.201-04/2003 RIN Reg No.1537/57